


३५.०८-२५

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी या प्रार्थी  
द्वय उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने  
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का यह  
प्रार्थना पत्र अदम पेंखी - अदम हालिरी में इसी  
स्तर पर लाजिज किया जाता है। पत्रावली  
बाद तरीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।  
निर्णय लिखाया जाकर तुलै न्यायालय

में सुनाया गया।

  
(सुनीलकुमार चौहान)  
R.A.S.